

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य
निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, देहरादून।

अपील संख्या- 09/2018

अपीलकर्ता- श्री पंकज गुप्ता, कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम ऋषिकेश जिला-देहरादून।

/बनाम

उत्तरदाता:- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

अपीलकर्ता श्री पंकज गुप्ता, कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम ऋषिकेश जिला-देहरादून के प्रार्थना पत्र दिनांक 21-06-2018 के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-1003 दिनांक 22 मई, 2018 द्वारा जो बिन्दु संख्या-01 एवं बिन्दु संख्या-03 पर सूचना लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी द्वारा दी गयी है, उसे प्रमाणित कर उपलब्ध नहीं करायी गयी है अतः लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संबंधित को उक्त सूचना की पुनः प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय। बिन्दु संख्या 04 एवं 05 से संबंधित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

यदि आप उक्त सूचना से सहमत न हों तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार संबंधित अपील का निस्तारण किया जाता है।



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पू0संख्या 1387 /XXV-12/2015,दिनांक 23 जुलाई, 2018.

1- प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

2- प्रतिलिपि श्री पंकज गुप्ता, कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम ऋषिकेश जिला-देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

मूल पत्र

19/7/18

प्रथम अपील

समक्ष -प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन
प्रथम तल सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर देहरादून

पंकज गुप्ता पुराना 547 नया 679 बनखण्डी हीरा लाल मार्ग ऋषिकेश- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
सचिवालय परिसर देहरादून-----द्वितीय पक्ष

महोदय,

अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून से मूल सूचना की मांग पत्र दिनांक 14 मई 2018 को सात बिन्दुओं पर सूचना की मांग की थी।

जिसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी अनुसचिव निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 21-05-2018 के द्वारा बिन्दु सं0 01, 03, 04, व 05 द्वितीय पक्ष को अन्तरित यह कह कर दिया कि सूचना आपके (द्वितीयपक्ष) के विभाग से संबधित है।

उपरोक्त अन्तरण के उपरान्त द्वितीय पक्ष ने अपने पत्र सं0 1003 दिनांकित 22 मई 2018 के द्वारा बिन्दु सं0 1- जिसमें अपीलार्थी ने सूचना मांगी थी कि आवेदक को वह सूची प्रदान करे जिसमें पिछले विधान सभा चुनाव 2017 में पूरे उत्तराखण्ड में प्रत्याशी रहे व्यक्तियों में से जिन्होंने नियमानुसार चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया हो जिस कारण या अन्य किसी कारण से उन्हें चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य या किसी निश्चित समय के लिये आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो की सूची तथा उस तिथि की भी सूचना प्रदान करें जिस तिथि तक के लिये अयोग्य घोषित किया गया हो की भी सूचना प्रदान करें।

जिसके क्रम में द्वितीय पक्ष ने बिना प्रमाणित दो छाया प्रति अपीलार्थी को प्रेषित कर दी जो प्रमाणित प्रति प्रदान की जानी चाहिये थी। अतः प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

बिन्दु सं0 03- जिसमें अपीलार्थी ने सूचना मांगी थी कि "निर्वाचन आयोग ने 54 प्रत्याशियों पर तीन वर्षों के लिये विधानसभा लोक सभा चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया था जिनमें ऋषिकेश से निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा भी शामिल थे। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।"

Ray

● जिसके क्रम में द्वितीय पक्ष ने बिना प्रमाणित पांच छाया प्रति अपीलार्थी को प्रेषित कर दी जो प्रमाणित प्रति प्रदान की जानी चाहिये थी। अतः प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

बिन्दु सं० 04- जिसमें अपीलार्थी ने सूचना मांगी थी कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दाखिल की है तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

जिसके क्रम में द्वितीय पक्ष ने कार्यालय में धारित नहीं है। कह कर इति श्री कर दी जो अधिनियम के विरुद्ध है यदि द्वितीय पक्ष के पास धारित नहीं थी तो धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अन्दर उस भाग का अन्तरण करना चाहिए था। अतः सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

बिन्दु सं० 05- जिसमें अपीलार्थी ने सूचना मांगी थी कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दाखिल की है और उसका निर्णय सूचना देने की दिनांक तक हो गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

जिसके क्रम में द्वितीय पक्ष ने कार्यालय में धारित नहीं है। कह कर इति श्री कर दी जो अधिनियम के विरुद्ध है यदि द्वितीय पक्ष के पास धारित नहीं थी तो धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अन्दर उस भाग का अन्तरण करना चाहिए था। अतः सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः प्रथम अपील दर्ज कर बिन्दु सं० 01, 03, 04, व 05 की सम्पूर्ण सूचनाएँ मय प्रमाणित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराने के महति आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

21 जून 2018



पंकज गुप्ता

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) - 2713760, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या: 1003 /XXV-12(1-5)/2008 देहरादून: दिनांक 22 मई, 2018.

सेवा में,

श्री पंकज गुप्ता,
कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम, ऋषिकेश,
जिला-देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या-200/रा.नि.आ.-1/2436/2018 दिनांक 21 मई, 2018 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न विवरणानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

बिन्दु संख्या-01	भारत निर्वाचन आयोग के आदेश, सं० 76/भा०नि०आ०/क्ष०/उत्तरा०-लो०स०/2018 (1) दिनांक 09 अप्रैल, 2018 की प्रति 02 पृष्ठ संलग्न है।
बिन्दु संख्या-03	श्री दीप शर्मा को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरहित घोषित किया गया है आयोग के उक्त आदेश के कुल 05 पृष्ठ संलग्न है।
बिन्दु संख्या-04	कार्यालय में धारित नहीं है।
बिन्दु संख्या-05	कार्यालय में धारित नहीं है।

संलग्न-यथोपरि।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी०एस०रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली-110001

सं: 76/आ0नि0आ0/क्ष0/उत्तरा0-लो0स0/2018(1)

दिनांक: 09 अप्रैल, 2018

19 चैत्र, 1939(शक)

आदेश

यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017 के तिये जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एन.डू. द्वारा निरहित घोषित करता है

सारणी

क्र०सं०	निर्वाचन का विवरण	विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र क्रम सं० एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017	04- बदीनाथ	श्री लक्ष्मीप्रसाद सती, ग्राम- देवस्थान, पो०- पोखरी, तह०- पोखरी जिला- चमोली	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	16- विकासनगर	श्री भास्कर चुग, निकट- देहरादून बस स्टैंड, विकासनगर, जिला- देहरादून	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री अशोक सिंह, ग्राम- मलकावाला, पोस्ट- विकासनगर, जिला- देहरादून	-वही-
4.	-वही-	-वही-	श्री टिजेश कुमार शर्मा, पुरबिया लाइन, वाड न० 8, अस्पताल रोड, विकासनगर जिला- देहरादून- 248198	-वही-

[Handwritten Signature]

5.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017	17- सहसपुर	श्रीमति मन्जु सिंह, 172/1, बहादुरपुर, राजावाला रोड, सेलाकुई, जिला- देहरादून	निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे।
6.	-वही-	28- भगवानपुर	श्री प्रेमपति, ग्राम- सोली, डाक- नौगांव, तहसील- बड़कोट, जिला- उत्तरकाशी,	-वही-
7.	-वही-	32- खानपुर	श्री सुनील, ग्राम- गिद्वावाली, पो0- रायसी, जिला- हरिद्वार।	-वही-
8.	-वही-	46- कपकोट	श्री करम सिंह दानु, ग्राम- चीराबगढ़, टोक- फुलवाड़ी, पो0ओ0- फुलवाड़ी, तहसील-कपकोट, जनपद- बागेश्वर	-वही-
9.	-वही-	49- सल्ट	श्री महिपाल सिंह, ग्राम- कोठलगांव, पो0ओ0- तोल्यां, तहसील- सल्ट, जिला- अल्मोड़ा	-वही-
10.	-वही-	51- सोमेश्वर (अ.जा.)	श्री प्रदीप कुमार आर्य, ग्राम- मल्ली रियुनि, पो0- मजखाली, तहसील- रानीखेत, जिला- अल्मोड़ा	-वही-
11.	-वही-	52- अल्मोड़ा	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, ग्राम- बगुना, पो0- रतगल, जिला- अल्मोड़ा	-वही-
12.	-वही-	-वही-	श्री जसवन्त सिंह, ग्राम- ढौरा (चौखुड़िया), पो0- ढौरा, जिला- अल्मोड़ा	-वही-
13.	-वही-	62- जसपुर	मो0 अजमल सिद्दकी, मोहल्ला- छीपीयान, जसपुर, वार्ड न0- 11, जिला- उधमसिंहनगर	-वही-
14.	-वही-	70- खटीमा	श्री विनोद भट्ट, ग्राम- भूड़ महौलिया, तहसील- खटीमा, जिला- उधमसिंहनगर	-वही-

Dev

(आदेश से,

(सिंह)
(रोहुल शर्मा)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

19-12-2016

By Speed Post/e-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.116/Disq./2016-CEMS-I

Actell - C.E.O

Dated: 13/12 December, 2016

19/12

To

The Chief Electoral Officer of
All States and Union Territories.

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
26-12-2016

Subject:- Updated list of disqualified persons under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 - Regarding.

Madam/Sir

I am directed to forward herewith updated list of persons disqualified under section 10A of the Representation of People Act, 1951 for official use of the Returning Officers and other election authorities concerned.

2. In those cases where elections have been announced by the Commission, copies of the list may be immediately made available to the Returning Officers etc. for reference by them, alongwith the consolidated list of persons disqualified as upto the date & issue of this letter.

3. The list of disqualified persons is also available on Commission's website www.eci.nic.in and can be viewed under the heading **Judicial Reference – List of Disqualified Persons**. Any change in the list after the date of issue of this letter can be viewed on the Commission's website under the heading **Judicial Reference – List of Disqualified Persons Supplementary List**. You are requested to provide soft copies of the list (together with the hard copies) to the Returning Officers well before the notification of election.

Raw

Yours faithfully,

(AVINASH KUMAR)
SECRETARY

LIST OF PERSONS DISQUALIFIED UNDER
SECTION 10A OF
THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1951

13th December, 2016

Dev

Uttarakhand - Legislative Assembly

KD 7	25-Haridwar	Mukesh Sharma, 15 Motichur Haripur Kala Rishikesh Dehradun, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 8.	25-Haridwar	Dhiraj Bhardwaj, H.No.175 Mansa Devi Marg Brahampuri Haridwar, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 9.	25-Haridwar	Sanju, H.No. 184 Aachrayan Kankhal, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 10.	36-Yamkeshwar	Anil Kumar, Vill.-Chunna Maheda, P.O. Nathukhal, Patti Ajamer Talla, Pauri Garhwal, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 11	42-Dharchula	Rajendara Singh Kutiyal, Vill & Post Kalika, Tehsil Dharchula, Distt. Pithoragarh, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 12	43-Didihat	Moti Ram Sagar, Vill- Sawlisera, P.o.-Titari, Didihat, Pithoragah, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 13	45-Gangolihat (S.C)	Jyoti Rani, Vill.-Pausa Post- Nargoli, Tahsil-Berinag, Distt.- Pithoragarh, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 14	46-Kapkot	Har Govind Joshi Vill.- Hirmoli, Post-Chirang, Tehsil & Distt. Bageshwar, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 15	59 - Haldwani	Raisul Hasan, Ward No. 25, L. No. 8, Banbhulpura, Azad Nagar, Haldwani, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 16.	59 - Haldwani	Samir Ulla Khan, Parvatiya Mohalla, Shavitri Colony, Bareilly Road, Haldwani, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018

Deu

	23-Doiwala	Ramesh Kothiyal, Vill-Manshadevi, PO- Veerbhadra, Rishikesh, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 81	23-Doiwala	Veendra Singh Chauhan, Vill- Kanarwala, Bhaniyawa,Doiwala, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 82	24-Rishikesh	VishwanathRaturi, Chaktunuwala,Doiwala, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 83	24-Rishikesh	Anil Kalura, Vill& PO-Chiddarwala, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 84	24-Rishikesh	Deep Sharma, 16-D, TilakMarg, Rishikesh, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 85	24-Rishikesh	YogeshkumarUniyal, 120, DudhpaniAmit Gram Gumaniwala, Rishikesh, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 86	24-Rishikesh	Ramsharan Bhatt, 178-Pargati vihar, Rishikesh, Present Address Near National highway Nepali Farm tirha, KhairikhurdSyampur, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 87	24-Rishikesh	Sanjay Pokhriyal, H.No-48, Gahorimafi, Raiwala, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 88	10-Devprayag	Jabar Singh urf Krantikari Pawel, 85/16-2, Nesvilla Road, Dchradun Uttarakhand	07-06-2016	07-06-2019
UKD 89	10-Devprayag	Puran Singh Bhandri, Vill. Chami Patti-Paurikhal, Teh. Jakhanidhar Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD 90	12-Pratapnagar	Madan Singh, Vill.-Kordi, Patti-Rounad Ramoli, Tehsil-Pratapnagar, (T.G), Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019

Dev

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सूचना
का अधिकारी



सत्यमेव जयते

पत्रांक : _____

/ रा.नि.आ.-1/2436/2018

दिनांक ...21/5/2018

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

श्री पंकज गुप्ता, कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 14.05.2018 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 17.03.2018 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध-पत्र में मांगी गयी सूचना के विन्दु संख्या-01, 03, 04 व 05 की सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी०पी०कोठारी)

अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो०न०-7534820707

संख्या-200/रा०नि०आ०-1/2436/2018 तददिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपि:- श्री पंकज गुप्ता, कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून को सूचनार्थ।

(बी०पी०कोठारी)

अनु सचिव /
लोक सूचना अधिकारी।

सेवा मे,

दिनांक-14मई2018

लोक सूचना अधिकारी

निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड

देहरादून

विषय-सूचना के अधिकार अधीनियम 2005 के तहत सूचना की मांग

महोदय,

आवेदक को वृहत जनहित में निम्न सूचनाएं प्रदान करें

1- आवेदक को वह सूची प्रदान करे जिसमें पिछले विधान सभा चुनाव 2017 में पूरे उत्तराखण्ड में प्रत्याशी रहे व्यक्तियों में से जिन्होंने नियमानुसार चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया हो जिस कारण या अन्य किसी कारण से उन्हें चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य या किसी निश्चित समय के लिये आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो की सूची तथा उस तिथि की भी सूचना प्रदान करें जिस तिथि तक के लिये अयोग्य घोषित किया गया हो की भी सूचना प्रदान करें।

2- आवेदक को वह सूची प्रदान करे जिसमें पिछले विधान स्थानिय निकाय के चुनाव में पूरे उत्तराखण्ड में प्रत्याशी रहे व्यक्तियों में से जिन्होंने नियमानुसार चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया हो या अन्य किसी कारण से जिस कारण उन्हें चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य किसी निश्चित समय के लिये आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया हो की सूची तथा उस तिथि की भी सूचना प्रदान करें जिस तिथि तक के लिये अयोग्य घोषित किया गया हो की भी सूचना प्रदान करें।

3- निर्वाचन आयोग ने 54 प्रत्याशियों पर तीन वर्षों के लिये विधानसभा लोक सभा चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया था जिनमें ऋषिकेश से निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा भी शामिल थे। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

4- निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दाखिल की है तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

5- निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दाखिल की है और उसका निर्णय सूचना देने की दिनांक तक हो गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

6-उस नियम या प्रक्रिया की सूचना प्रदान करें जिसके पालन करने से जो प्रत्याशी किसी कारण किसी निश्चित अवधि के लिये अयोग्य या प्रतिबन्धित किये गये हो वह अब ब्योरा दाखिल करना चाहता हो जिससे उसे आगामी नागर निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनने में कोई परेशानी न उठानी पड़े।

7-उन व्यक्तियों की सूची प्रदान करे जो आगामी चुनाव नागर निकाय 2018 में चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित हो (क)ऋषिकेश नगर निगम (ख)शेष उत्तराखण्ड में।

नोट- फीस हेतु 10रु का पो0आ0 संलग्न है।



0/L

पंकज गुप्ता

547 बनखण्डी

ऋषिकेश

दीप शर्मा वरिष्ठ अधिकारी
पता

प्रथम अपील

समक्ष - प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन
प्रथम तल सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर देहरादून

पंकज गुप्ता पुराना 547 नया 679 बनखण्डी हीरा लाल मार्ग ऋषिकेश- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
सचिवालय परिसर देहरादून-----द्वितीय पक्ष

महोदय,

अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून से मूल सूचना की मांग पत्र दिनांक 14 मई 2018 को सात बिन्दुओं पर सूचना की मांग की थी।

जिसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी अनुसचिव निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 21-05-2018 के द्वारा बिन्दु सं0 01, 03, 04, व 05 द्वितीय पक्ष को अन्तरित यह कह कर दिया कि सूचना आपके (द्वितीयपक्ष) के विभाग से संबधित है।

उपरोक्त अन्तरण के उपरान्त द्वितीय पक्ष ने अपने पत्र सं0 1003 दिनांकित 22 मई 2018 के द्वारा बिन्दु सं0 1- जिसमें अपीलार्थी ने सूचना मांगी थी कि आवेदक को वह सूची प्रदान करे जिसमें पिछले विधान सभा चुनाव 2017 में पूरे उत्तराखण्ड में प्रत्याशी रहे व्यक्तियों में से जिन्होंने नियमानुसार चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया हो जिस कारण या अन्य किसी कारण से उन्हें चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य या किसी निश्चित समय के लिये आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो की सूची तथा उस तिथि की भी सूचना प्रदान करें जिस तिथि तक के लिये अयोग्य घोषित किया गया हो की भी सूचना प्रदान करें।

जिसके क्रम में द्वितीय पक्ष ने बिना प्रमाणित दो छाया प्रति अपीलार्थी को प्रेषित कर दी जो प्रमाणित प्रति प्रदान की जानी चाहिये थी। अतः प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

बिन्दु सं0 03- जिसमें अपीलार्थी ने सूचना मांगी थी कि "निर्वाचन आयोग ने 54 प्रत्याशियों पर तीन वर्षों के लिये विधानसभा लोक सभा चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया था जिनमें ऋषिकेश से निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा भी शामिल थे। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।"

Dus

जिसके क्रम में द्वितीय पक्ष ने बिना प्रमाणित पांच छाया प्रति अपीलार्थी को प्रेषित कर दी जो प्रमाणित प्रति प्रदान की जानी चाहिये थी। अतः प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

बिन्दु सं० 04— जिसमें अपीलार्थी ने सूचना मांगी थी कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दाखिल की है तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

जिसके क्रम में द्वितीय पक्ष ने कार्यालय में धारित नहीं है। कह कर इति श्री कर दी जो अधिनियम के विरुद्ध है यदि द्वितीय पक्ष के पास धारित नहीं थी तो धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अन्दर उस भाग का अन्तरण करना चाहिए था। अतः सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के आदेश जारी करने की कृपा करें।


बिन्दु सं० 05— जिसमें अपीलार्थी ने सूचना मांगी थी कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दाखिल की है और उसका निर्णय सूचना देने की दिनांक तक हो गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

जिसके क्रम में द्वितीय पक्ष ने कार्यालय में धारित नहीं है। कह कर इति श्री कर दी जो अधिनियम के विरुद्ध है यदि द्वितीय पक्ष के पास धारित नहीं थी तो धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अन्दर उस भाग का अन्तरण करना चाहिए था। अतः सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः प्रथम अपील दर्ज कर बिन्दु सं० 01, 03, 04, व 05 की सम्पूर्ण सूचनाएँ मय प्रमाणित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराने के महति आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

21 जून 2018


पंकज गुप्ता

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) -- 2713760, 2713551
फैक्स न० (0135) -- 2713724

संख्या: /003 /XXV-12(1-5)/2008 देहरादून: दिनांक 22 मई, 2018.

सेवा में,

श्री पंकज गुप्ता,
कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम, ऋषिकेश,
जिला-देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या-200/रा.नि.आ.-1/2436/2018 दिनांक 21 मई, 2018 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न विवरणानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

बिन्दु संख्या-01	भारत निर्वाचन आयोग के आदेश सं० 76/भा०नि०आ०/क्ष०/उत्तरा०-लो०स०/2018 (1) दिनांक 09 अप्रैल, 2018 की प्रति 02 पृष्ठ संलग्न है।
बिन्दु संख्या-03	श्री दीप शर्मा को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है आयोग के उक्त आदेश के कुल 05 पृष्ठ संलग्न है।
बिन्दु संख्या-04	कार्यालय में धारित नहीं है।
बिन्दु संख्या-05	कार्यालय में धारित नहीं है।

संलग्न-यथोपरि।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(बी०एस०रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड राज्य सरकार के
शासकीय राजपत्र के अंग्रेजी
अंक में पुनः प्रकाशनार्थ

वि. सं. 10/1

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली-110001

सं०: 76/भा०नि०आ०/क्ष०/उत्तरा०-नो०स०/2018(1)

दिनांक: 09 अप्रैल, 2018

19 चैत्र, 1939(शक)

आदेश

यतः निर्वाचन आयोग का सम्मथान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017 के लिये जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब,, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है

सारणी

क्र०सं०	निर्वाचन का विवरण	विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र क्रम सं० एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहेता का कारण
1.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017	04- बदीनाथ	श्री लक्ष्मीप्रसाद सती, ग्राम- देवरथान, पो०- पोखरी, तह०- पोखरी जिला- चमोली	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	16- विकासनगर	श्री भास्कर चुग, नेकट- देहरादून बस स्टैण्ड, विकासनगर, जिला- देहरादून	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री अशोक सिंह, ग्राम- मलकावाला, पोस्ट- विकासनगर, जिला- देहरादून	-वही-
4.	-वही-	-वही-	श्री टिजेश कुमार शर्मा, पुरबिया लाइन, वाडें न०- 8, अस्पताल रोड, विकासनगर जिला- देहरादून- 248198	-वही-

5.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017	17- सहसपुर	श्रीमति मन्जु सिंह, 172/1, बहादुरपुर, राजावाला रोड, सेलाकुई, जिला- देहरादून	निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे।
6.	-वही-	28- भगवानपुर	श्री प्रेमपति, ग्राम- सोली, डाक- नौगांव, तहसील- बड़कोट, जिला- उत्तरकाशी,	-वही-
7.	-वही-	32- खानपुर	श्री सुनील, ग्राम- गिदवावाली, पो0- रायसी, जिला- हरिद्वार।	-वही-
8.	-वही-	46- कपकोट	श्री करम सिंह दानु, ग्राम- चीराबगढ़, टोक- फुलवाड़ी, पो0ओ0- फुलवाड़ी, तहसील-कपकोट, जनपद- बागेश्वर	-वही-
9.	-वही-	49- सल्ट	श्री महिपाल सिंह, ग्राम- कोठलगांव, पो0ओ0- तोल्यों, तहसील- सल्ट, जिला- अल्मोड़ा	-वही-
10.	-वही-	51- सोमेश्वर (अ.जा.)	श्री प्रदीप कुमार आर्य, ग्राम- मल्ली रियुनि, पो0- मजखाली, तहसील- रानीखेत, जिला- अल्मोड़ा	-वही-
11.	-वही-	52- अल्मोड़ा	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, ग्राम- बगुना, पो0- रतगल, जिला- अल्मोड़ा	-वही-
12.	-वही-	-वही-	श्री जसवन्त सिंह, ग्राम- ढौरा (चौखुड़िया), पो0- ढौरा, जिला- अल्मोड़ा	-वही-
13.	-वही-	62- जसपुर	मो0 अजमल सिद्दकी, मोहल्ला- छीपीयान, जसपुर, वाई न0- 11, जिला- उधमसिंहनगर	-वही-
14.	-वही-	70- खटीमा	श्री विनोद भट्ट, ग्राम- भूड़ महाँलिया, तहसील- खटीमा, जिला- ऊधमसिंहनगर	-वही-

Rat

(आदेश से,

Rat
(राहुल शर्मा)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

पत्र 3

By Speed Post/e-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.116/Disq./2016-CEMS-I

Accd C.E.O

Dated : 13th December, 2016

19th

To

The Chief Electoral Officer of
All States and Union Territories.

(राधा रतुडी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
26-12-2016

Subject:- Updated list of disqualified persons under Section 10A of the Representation of the
People Act, 1951 - Regarding.

Madam/Sir

I am directed to forward herewith updated list of persons disqualified under section 10A of the Representation of People Act, 1951 for official use of the Returning Officers and other election authorities concerned.

2. In those cases where elections have been announced by the Commission, copies of the list may be immediately made available to the Returning Officers etc. for reference by them, alongwith the consolidated list of persons disqualified as upto the date & issue of this letter.

3. The list of disqualified persons is also available on Commission's website www.eci.nic.in and can be viewed under the heading **Judicial Reference – List of Disqualified Persons**. Any change in the list after the date of issue of this letter can be viewed on the Commission's website under the heading **Judicial Reference – List of Disqualified Persons Supplementary List**. You are requested to provide soft copies of the list (together with the hard copies) to the Returning Officers well before the notification of election.

Yours faithfully,



(AVINASH KUMAR)
SECRETARY

LIST OF PERSONS DISQUALIFIED UNDER
SECTION 10A OF
THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1951

13th December, 2016

Dur

Uttarakhand - Legislative Assembly

KD 7	25-Haridwar	Mukesh Sharma, 15 Motichur Haripur Kala Rishikesh Dehradun, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 8.	25-Haridwar	Dhiraj Bhardwaj, H.No.175 Mansa Devi Marg Brahampuri Haridwar, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 9.	25-Haridwar	Sanju, H.No. 184 Aachrayan Kankhal, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 10.	36-Yamkeshwar	Anil Kumar, Vill.-Chunna Maheda, P.O. Nathukhal, Patti Ajamer Talla, Pauri Garhwal, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 11	42-Dharchula	Rajendara Singh Kutiyal, Vill & Post Kalika, Tehsil Dharchula, Distt. Pithoragarh, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 12	43-Didihat	Moti Ram Sagar, Vill- Sawlisera, P.o.-Titari, Didihat, Pithoragah, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 13	45-Gangolihat (S.C)	Jyoti Rani, Vill.-Pausa Post- Nargoli, Tahsil-Berinag, Distt.- Pithoragarh, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 14	46-Kapkot	Har Govind Joshi Vill.- Hirmoli, Post-Chirang, Tehsil & Distt. Bageshwar, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 15	59 - Haldwani	Raisul Hasan, Ward No. 25, L. No. 8, Banbhulpura, Azad Nagar, Haldwani, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018
UKD 16.	59 - Haldwani	Samir Ulla Khan, Parvatiya Mohalla, Shavitri Colony, Bareilly Road, Haldwani, Uttarakhand.	07-07-2015	07-07-2018

Ran

	23-Doiwala	Ramesh Kothiyal, Vill-Manshadevi, PO- Veerbhadra, Rishikesh, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 81	23-Doiwala	Vejendra Singh Chauhan, Vill- Kanarwala, Bhaniyawala,Doiwala, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 82	24-Rishikesh	VishwanathRaturi, Chaktunuwala,Doiwala, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 83	24-Rishikesh	Anil Kalura, Vill& PO-Chiddarwala, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 84	24-Rishikesh	Deep Sharma, 16-D, TilakMarg, Rishikesh, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 85	24-Rishikesh	YogeshkumarUniyal, 120, DudhpaniAmit Gram Gumaniwala, Rishikesh, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 86	24-Rishikesh	Ramsharan Bhatt, 178-Pargati vihar, Rishikesh, Present Address Near National highway Nepali Farm tirha, KhairikhurdSyampur, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 87	24-Rishikesh	Sanjay Pokhriyal, H.No-48, Gahorimafi, Raiwala, Uttarakhand.	07-12-2016	07-12-2019
UKD 88	10-Devprayag	Jabar Singh urf Krantikari Pawel, 85/16-2, Nesvilla Road, Dehradun Uttarakhand	07-06-2016	07-06-2019
UKD 89	10-Devprayag	Puran Singh Bhandri, Vill. Chami Patti-Paurikhal, Teh. Jakhanidhar Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019
UKD 90	12-Pratapnagar	Madan Singh, Vill.-Kordi, Patti-Rounad Ramoli, Tehsil-Pratapnagar, (T.G), Uttarakhand.	07-06-2016	07-06-2019

[Handwritten Signature]

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड

सूचना
का अधिकारी



सत्यमेव जयते

पत्रांक : ————— / रा.नि.आ.-1/2436/2018

दिनांक 21/5/2018

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

श्री पंकज गुप्ता, कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 14.05.2018 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 17.03.2018 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध-पत्र में मांगी गयी सूचना के विन्दु संख्या-01, 03, 04 व 05 की सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बी0पी0कोठारी)

अनु सचिव /

लोक सूचना अधिकारी।

मो0नं0-7534820707

संख्या-200/रा0नि0आ0-1/2436/2018 तददिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपि:- श्री पंकज गुप्ता, कार्यालय-547 बनखण्डी ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून को सूचनार्थ।

(बी0पी0कोठारी)

अनु सचिव /

लोक सूचना अधिकारी।

सेवा में,

दिनांक-14मई2018

लोक सूचना अधिकारी

निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड

देहरादून

विषय-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की मांग

महोदय,

आवेदक को वृहत जनहित में निम्न सूचनाएं प्रदान करें

1- आवेदक को वह सूची प्रदान करे जिसमें पिछले विधान सभा चुनाव 2017 में पूरे उत्तराखण्ड में प्रत्याशी रहे व्यक्तियों में से जिन्होंने नियमानुसार चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया हो जिस कारण या अन्य किसी कारण से उन्हें चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य या किसी निश्चित समय के लिये आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो की सूची तथा उस तिथि की भी सूचना प्रदान करें जिस तिथि तक के लिये अयोग्य घोषित किया गया हो की भी सूचना प्रदान करें।

2- आवेदक को वह सूची प्रदान करे जिसमें पिछले विधान स्थानिय निकाय के चुनाव में पूरे उत्तराखण्ड में प्रत्याशी रहे व्यक्तियों में से जिन्होंने नियमानुसार चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया हो या अन्य किसी कारण से जिस कारण उन्हें चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य किसी निश्चित समय के लिये आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया हो की सूची तथा उस तिथि की भी सूचना प्रदान करें जिस तिथि तक के लिये अयोग्य घोषित किया गया हो की भी सूचना प्रदान करें।

3- निर्वाचन आयोग ने 54 प्रत्याशियों पर तीन वर्षों के लिये विधानसभा लोक सभा चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया था जिनमें ऋषिकेश से निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा भी शामिल थे। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

4- निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दाखिल की है तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

5- निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीप शर्मा पर लगे प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध यदि कोई अपील दाखिल की है और उसका निर्णय सूचना देने की दिनांक तक हो गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

6-उस नियम या प्रक्रिया की सूचना प्रदान करें जिसके पालन करने से जो प्रत्याशी किसी कारण किसी निश्चित अवधि के लिये अयोग्य या प्रतिबन्धित किये गये हो वह अब ब्योरा दाखिल करना चाहता हो जिससे उसे आगामी नागर निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनने में कोई परेशानी न उठानी पड़े।

7-उन व्यक्तियों की सूची प्रदान करे जो आगामी चुनाव नागर निकाय 2018 में चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित हो (क)ऋषिकेश नगर निगम (ख)शेष उत्तराखण्ड में।

नोट- फीस हेतु 10रु का पो0आ0 संलग्न है।

पंकज गुप्ता

547 बनखण्डी

ऋषिकेश